



भारत सरकार  
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

**पेटेंट अधिग्रहण तथा सहयोगात्मक अनुसंधान एवं  
प्रौद्योगिकी विकास (पेस)**

**वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावों को आमंत्रित करना- चतुर्थ बैच**

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) पेस स्कीम के अंतर्गत नवप्रवर्तक उत्पाद/प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रदर्शन के लिए वाणिज्यीकरण लायक, संकल्पना के साक्ष्य अथवा प्रयोगशाला स्तर से पायलट स्तर तक के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु **पंजीकृत भारतीय कंपनियों/फर्मों/लघु तथा मध्यम उद्यमों इत्यादि** से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए <http://www.dsir.gov.in> तथा **पेस** दिशानिर्देशों को देखें।

**पेस की अद्वितीय विशेषताएँ:**

- उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन तथा विकास (अकेले अथवा भारत अथवा विदेश के अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षिक संस्थान/ विश्वविद्यालय के सहयोग से)।
- भारतीय उद्योग को ऋण तथा भारतीय अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षिक संस्थान/विश्वविद्यालय को अनुदान (विदेश के अलावा)। अनुदान ऋण के साथ स्वीकृत होगा एवं यह स्वीकृत ऋण से अधिक नहीं होगा।
- यह स्कीम औद्योगिक रूप से उपयोगी अनुप्रयोगों के लिए अग्रणी किसी भी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र\* में प्रस्तावों को सहायता प्रदान करेगी।
- यह स्कीम उन प्रस्तावों को सहायता प्रदान करेगी जो संकल्पना-के-साक्ष्य के प्रमाण प्रस्तुत करती हो एवं अपूरित आवश्यकताओं को पूर्ण करती है।

\* विशुद्ध जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रस्तावों, जिन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग में प्रस्तुत किया जा सकता है, के अलावा ।

**पात्रता**

- कंपनी को सम्बद्ध अधिनियम के तहत भारत में पंजीकृत होना चाहिए अथवा एसएसआई/एमएसएमई में कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत और लाभ अर्जित करने वाली होनी चाहिए।
- भारतीय नागरिकों के पास, अपवासी भारतीयों सहित, कंपनी के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।
- उद्योग के पास स्वयं द्वारा विकसित अथवा अधिग्रहित आई पी स्वामित्व (पेटेंटेड या अनपेटेंटेड) होना चाहिए, जिसे प्रस्तावित परियोजना में मूल्य वर्धन अथवा अप-स्केलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- उन उद्योगों को जिनकी अनुसंधान एवं विकास इकाई डीएसआईआर से मान्यता प्राप्त हैं उनको वरीयता दी जाएगी।
- उद्योग यह साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में अवश्य होना चाहिए कि वह परियोजना में अपनी निधि की हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम होगा।
- सहयोगी सहभागी, यदि लागू हों तो, भारतीय सार्वजनिक वित्त प्राप्त अनुसंधान संस्थान होना चाहिए जिसे कम से कम संस्थान के आवर्ती खर्च का न्यूनतम 50 प्रतिशत सरकार से प्राप्त हो।

**आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश**

निर्धारित दिशानिर्देश तथा आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट [www.dsir.gov.in](http://www.dsir.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक अपना आवेदन वेबसाइट [www.dsir.gov.in](http://www.dsir.gov.in) के माध्यम से प्रस्तुत करें। **तत्पश्चात्** आवेदक को विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्ताव की पाँच हार्ड कॉपीयाँ + एक साफ्ट कॉपी [एमएसवर्ड फाइल ना कि पीडीएफ फाइल] ईमेल के माध्यम से तथा एक पेन ड्राइव संलग्न करते हुए: **प्रमुख (पेस)**, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, हॉल-बी, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली- 110016 को भेजनी होगी। दस्तावेज धारक पर बड़े अक्षरों में “गोपनीय, पेस परियोजना” लिखकर [ashwani@nic.in](mailto:ashwani@nic.in) पर ईमेल करें।

डीएसआईआर दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

**अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:**

**श्री विनय कुमार, वैज्ञानिक 'ई'**

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली -110016

ईमेल: [vinaykumar@nic.in](mailto:vinaykumar@nic.in)

दूरभाष: 26529742/26590496

**द्वितीय बैच के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 15 सितम्बर, 2014**